भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पी.सी.–6/103 आरबीई सं. 74/2009

सं. पीसी–6/2009/आई/आरएसआरपी/2 नई दिल्ली, दिनांक:30.04.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : सेवानिवृति के बाद रेल सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों का वेतन रेल प्राक्कलनों के नामे में डालने योग्य है, के संबंध में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 का लागू होना

सेवानिवृति के बाद रेल सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 2 (2) (vii) के द्वारा इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। इन व्यक्तियों के संबंध में संशोधित वेतन नियमावली का लाभ प्रदान किए जाने तथा संशोधित वेतनमान में इनका वेतन निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रकिया के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया। राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, के नियम 2 (2) (vii) में आंशिक संशोधन करते हुए, इन नियमों के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, जो इसके बाद दिए गए आदेशों के अध्यधीन 01 जनवरी, 2006 से पूर्व पुनर्नियोजित थे। यह निर्णय संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर रेलों पर पुनर्नियोजित उन सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी सिविल पद अथवा सशस्त्र बलों से पेंशन और/अथवा उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृति प्रसुविधा, उदाहरणार्थ अंशदायी निधि आदि सहित अथवा उसके बिना सेवानिवृत हुए हैं ।

2(I) एक पुनर्नियोजित रेल सेवक, जो पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान द्वारा अधिशासित होना चुनता है अथवा चुना है, समझा गया है, का आरंभिक वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात :–

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, यदि वह –

(i) एक ऐसा रेल सेवक है, "जो पेंशन, उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृति प्रसुविधा के बिना सेवानिवृत होता है" और

(ii) एक सेवानिवृत रेल सेवक है, "जो पेंशन अथवा कोई अन्य सेवानिवृति प्रसुविधा प्राप्त करता है, किन्तु पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण करते समय उनकी उपेक्षा की गई (उनको गिना नहीं गया)"

2(II) पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृति प्रसुविधा सहित सेवानिवृत होकर पुनर्नियोजित होने वाले रेल सेवक का तथा जिसका वेतन, पुनर्नियोजन पर इन प्रसुविधाओं पर ध्यान देते हुए अथवा उसके एक भाग की उपेक्षा करते हुए निर्धारित किया गया था, और जिसने पहली जनवरी 2006 से संशोधित वेतन द्वारा अधिशासित होना चुना है अथवा चुना गया समझा गया है, का आरंभिक वेतन, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्नियोजित रेल सेवक, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथा

संशोधित पूर्व संशोधित वेतनमानों में अनुमत्य सेवानिवृति प्रसुविधाएं अर्जित करता रहेगा, जिनके संबंध में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए गए हैं। तथापि, संशोधित पेंशन (पेंशन का उपेक्षणीय भाग, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर) के समतुल्य राशि दिनांक 1.1.2006 से अथवा बाद से, पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन में से काट (कम कर) दी जाएगी। वार्षिक वेतनवृद्धि की अनुमति रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 में निर्धारित तरीके से समस्त वेतन राशि पर यह मानकर दी जाएगी, जैसे कि यदि पेंशन की कटौती न की गई होती।

3. पुनर्नियोजित व्यक्ति, जो इन आदेशों के अनुसार अपना संशोधित वेतनमान चुनने के पात्र हो गए हैं, वे इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर अथवा जिन मामलों में उनके द्वारा धारित पदो के मौजूदा वेतनमान इन आदेशों के जारी होने के बाद संशोधित हुए हैं, वे वेतनमान संशोधित होने वाले आदेशों/अधिसूचनाओं के जारी होने के तीन माह के भीतर रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 6 में निर्धारित तरीके से अपना विकल्प देंगे।

4. जहाँ कोई पुनर्नियोजित रेल सेवक मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन अर्जित करना चुनता है और दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता है, तो संशोधित वेतनमान में किसी बाद की तारीख से उसका वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

5. इसके अतिरिक्त, पुनर्नियोजन पर वेतन आहरण जमा सकल पेंशन मौजूदा सीमा 26,000/– से बढ़ाकर 80,000/– रूपए कर दी गई है, जो कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार के पदेन सचिव को देय अधिकतम वेतन है।

6. राष्ट्रपति जी ने कमीशन प्रदत्त सेवा अधिकारियों तथा 55 वर्ष की आयु होने से पूर्व सेवानिवृत होने वाले समूह 'क' पदधारित सिविल अधिकारियों के मामले में पेंशन के उपेक्षणीय भाग 1500/–रूपए को भी बढ़ाकर 4000/– रूपए कर दिया है। अतः पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन निर्धारण करते समय उपेक्षित (इग्नोर) किए जाने योग्य सिविल तथा सैन्य पेंशन की मौजूदा सीमा को, ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में लागू करना समाप्त कर दिया जाएगा, जो 01.1.2006 को अथवा उसके बाद पुनर्नियोजित हुए हैं। जो व्यक्ति पहले से पुनर्नियोजन में हैं, उनका वेतन दिनांक 01.1.2006 से इन आदेशों के आधार पर निर्धारित किया जाए, बशर्ते कि वे इन आदेशों के तहत आने का विकल्प चुनते हैं। यदि वे ऐसा विकल्प चुनते हैं, तो उनकी सेवा शर्तों को नए सिरे से इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि वे दिनांक 01.01.2006 से पहली बार पुनर्नियोजित हुए हैं । विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर लिखित में किया जाए। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा ।

7. ये आदेश 01.1.2006 से लागू होंगे ।

8. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(कोशी थॉमस)
सं.निदेशक, वेतन आयोग –II
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/103
No. PC-VI/2009/I/RSRP/2

R.B.E. No.74/2009
New Delhi, dated 30.04.2009.

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Subject :- Applicability of RS(RP) Rules, 2008 to persons re-employed in Railway Service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates.

Persons re-employed in Railway service after retirement have been excluded from the purview of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 vide Rule 2 (2) (vii) thereof. The question of extension of the benefit of the revised pay rules to these persons and the procedure to be followed for fixing their pay in the revised scales has been considered by the Government. The President is pleased to decide that, in partial modification of the Rule 2(2) (vii) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the provisions of these rules shall apply to such persons also who were in re-employment on 1st January, 2006, subject to the orders hereinafter contained. This decision will cover all Railway servants re-employed on Railways other than those employed on contract whether they have retired with or without a pension and /or gratuity or any other retirement benefits, e.g. contributory fund etc. from a civil post or from the Armed Forces.

2(I) The initial pay of a re-employed Railway servant who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised pay scale from the 1st day of January 2006 shall be fixed in the following manner namely:-

According to the provisions of Rule 7 of the RS(RP) Rules, 2008, if he is –

(i) a Railway servant who retired without receiving a pension, gratuity or any other retirement benefit and

(ii) a retired Railway servant who received pension or any other retirement benefits but which were ignored while fixing pay on re-employment.

.....2/

2(II) The initial pay of a re-employed Railway servant who retired with a pension or any other retirement benefit and whose pay on re-employment was fixed with reference to these benefits or ignoring a part thereof, and who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised scales from the 1st day of January, 2006 shall be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. In addition to the pay so fixed, the re-employed Railway servant would continue to draw the retirement benefits he was permitted to draw in the pre-revised scales, as modified based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, orders in respect of which have been issued separately by the Department of Pension & Pensioners Welfare. However, an amount equivalent to the revised pension (excluding ignorable portion of pension, wherever permissible), effective from 1.1.2006 or after, shall be deducted from his pay in accordance with the general policy of the Government on fixation of pay of re-employed pensioners. Annual increments will be allowed in the manner laid down in Rule 10 of Railway Services (Revised Pay) Rules 2008, on the entire amount of pay as if pension had not been deducted.

3. Re-employed persons who become eligible to elect revised scale in accordance with these orders should exercise their option in the manner laid down in Rule 6 of the Railway Service (Revised Pay) Rules, 2008 within three months of the date of issue of these orders or in cases where the existing scale of pay of the posts held by them are revised subsequent to the issue of these orders, within three months of the date of orders/ notification revising the scales.

4. Where a re-employed Railway servant elects to draw his pay in the existing scale and is brought over to revised scale from a date later than the 1st day of January, 2006, his pay from the later date in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 11 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

5. Further, the existing ceiling of Rs.26000/- for drawal of pay plus gross pension on re-employment is enhanced to Rs.80000/, the maximum salary payable to the ex-officio Secretary to the Government of India under Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

6. The President is also pleased to enhance the ignorable part of pension from Rs.1500/- to Rs.4000/- (Rupees four thousand) in the case of Commissioned Service officers and civil officers holding Group 'A' posts who retire before attaining the age of 55 years. The existing limits of civil and military pensions to be ignored in fixing the pay of re-employed pensioners will, therefore,, cease to be applicable to cases of such pensioners as are re-employed on or after 1.1.2006. In the cases of persons who are already on re-employment, the pay may be fixed on the basis of these orders with effect from 1.1.2006, provided they opt to come under these orders. If they so opt, their terms would be determined afresh as if they have been re-employed for the first time from 1.1.2006. The option should be exercised in writing within three months from the date of issue of these orders. The option once exercised is final.

.....3

7. These orders shall take effect from 1.1.2006.

8. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Koshy Thomas)
Jt. Director Pay Commission- I
Railway Board

No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 New Delhi, dated 30-04-2009

Copy (with 40 spares) forwarded to the ADAI, Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 **New Delhi, dated 30.04.2009.**

Copy forwarded to :-

1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Feroz shah Road, New Delhi (with 90 spares).
4) The Secretary General FROA.
5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association.
6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
7) The Secretary General, IRPOF.
8) The Secretary General, All India RPF Association.
9) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11) Railway Board Promottee Officers Association, Room No, 341-C, RailBhawan.
12) The Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 8, Rail Bhawan (with 5 spares)

for Secretary, Railway Board.

.....4/-